



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12072021-228246
CG-DL-E-12072021-228246

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2599]
No. 2599]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 12, 2021/आषाढ़ 21, 1943
NEW DELHI, MONDAY, JULY 12, 2021/ASHADHA 21, 1943

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2021

का.आ. 2804(अ).—आयकर नियमावली, 1962 के नियमों 5ग और 5घ. के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा आयकर नियमावली, 1962 के नियमों 5ग और 5घ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु 'अनुसंधान संघ' की श्रेणी के तहत मैसर्स पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट, हरिद्वार (पैन-AABTP8183E) को मंजूरी देती है।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी (अर्थात् पिछले वर्ष 2021-22) और तदनुसार निर्धारण वर्ष (वर्षों) 2022-2023 से 2027-28 के लिए प्रयोज्य होगी।

[अधिसूचना सं. 79/2021/फा. सं.203/09/2020-आईटीए-II]

प्रज्ञा पारमिता, निदेशक

व्याख्यात्मक ज्ञापन: यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।